



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072022-237290
CG-DL-E-14072022-237290

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 501]
No. 501]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 13, 2022/आषाढ़ 22, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 13, 2022/ASHADHA 22, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 03/2022-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 541(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

क. सारणी में,-

(I) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (iii), (iv), (v), (va), (vi) और (ix) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ख) मद (vii) और (x) के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “6” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 (ग) मद (xii) में, कोष्ठक और अंक “(iii), (iv), (v), (va), (vi), (vii), (viii), (ix)” के स्थान पर, कोष्ठक और अंक “(vii), (viii),” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(II) क्रम संख्या 7 के समक्ष, मद (i) में, “एक हजार रुपए से अधिक लेकिन” शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (vi) और उससे संबंधित कॉलम (4), (5), की प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(via) रोपवे के द्वारा यात्रियों का परिवहन, चाहे वे अपने सामान के साथ हों या नहीं।	2.5	बशर्ते कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]”;

(ख) मद (vii) और उससे संबंधित कॉलम (4) और (5) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(vii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (ivक), (v), (vi) और (via) से भिन्न यात्री परिवहन सेवाएं।	9	-”;

(IV) क्रमांक 9 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (iii) और उससे संबंधित कॉलम (4), और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(iii) जीटीए द्वारा आपूर्ति किए गए माल (जिसमें व्यक्तिगत प्रयोग में आने वाले इस्तेमाल किए गए घरेलू सामान भी शामिल हैं) के परिवहन से संबंधित माल परिवहन एजेंसी की सेवाएं, जहां-		
(क) जीटीए अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी के भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है;	2.5	बशर्ते कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]
(ख) जीटीए अपने द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी के स्वयं भुगतान करने का विकल्प का	2.5	1. ऐसी आपूर्तियों के संबंध में जिसमें की जीटीए 2.5% की दर से कर का भुगतान करता हो तो ऐसी आपूर्तियों पर जीटीए सेवा की आपूर्ति में
	या	

प्रयोग करता हो।	6	प्रयोग माल और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट नहीं लेगा। [कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)] 2. किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का स्वयं भुगतान करने का जीटीए के द्वारा लिए जाने वाले विकल्प का प्रयोग, उक्त वित्तीय वर्ष के तत्काल पहले 15 मार्च तक अनुबंध अनुलग्नक V में घोषणा करके किया जाएगा : बशर्ते कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए इस विकल्प का प्रयोग 16 अगस्त, 2022 को या उसके पहले करना होगा। बशर्ते और भी कि उपवाक्य (ख) पर लागू दर पर केंद्रीय कर वाली सेवा की आपूर्ति के लिए इनवॉयस को वित्तीय वर्ष, 2022-2023 के लिए विकल्प देने के पहले-पहले 18 जुलाई, 2022 से 16 अगस्त, 2022 की अवधि के दौरान जारी किया जा सकता है लेकिन ऐसे मामले में आपूर्तिकर्ता अपनी आपूर्ति पर जीएसटी के भुगतान के विकल्प का प्रयोग 16 अगस्त, 2022 को या उससे पहले ही करेगा।";
-----------------	---	--

(ख) मद (vi) और कॉलम (4) और (5) में और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(via) रोपवे द्वारा माल का परिवहन।	2.5	बशर्ते कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]";

(ग) मद (vii) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(vii) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) और (via) से भिन्न माल परिवहन सेवाएं।	9	-";

(V) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ia) माल परिवहन का किराया पर देने की सेवाएं जहां सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रतिफल में ईंधन की लागत शामिल है।	6	-";

(ख) मद (iii) में, कोष्ठक और अंक "(i)" के पश्चात, कोष्ठक और अंक ",(ia)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(VI) क्रम संख्या 11 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) और (ii) के लिए और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"परिवहन में समर्थनकारी सेवाएं। स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि में वे माल परिवहन सेवा नहीं आती है जिनमें माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) सेवा, जो शीर्षक 9965 के अंतर्गत आती है, शामिल होती है।	9	-";

(VII) क्रमांक 15 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) और कॉलम (4) और (5) में तत्संबंधी प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ख) मद (vii) में, कोष्ठक और प्रतीक "(i)," को निरसित किया जाएगा;

(VIII) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में,-मद (i) में, उप मद (ड.), (ड.क) और (ज) को निरसित किया जाएगा;

(IX) क्रम संख्या 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31A	शीर्षक 9993	किसी नैदानिक स्थापन द्वारा कमरे [इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू)/ क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)/ इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट (आईसीसीयू) /नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) से भिन्न] के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जिसका शुल्क रु. 5000/- प्रति दिवस से अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को जिसे स्वास्थ्य देख रेख सेवाएं दी जा रही हो।	2.5	ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]";

(X) क्रम संख्या 32 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ia) किसी नैदानिक स्थापन को सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार प्रसुविधा के प्रचालको द्वारा , जैव-चिकित्सय अपशिष्ट के उपचार या व्ययन के माध्यम से या उससे आनुषंगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी सेवाएं	6	-";

(ख) मद (ii) में, कोष्ठक और अंक "(i)" के पश्चात, कोष्ठक और अंक "और (ia)" को अंतःस्थापित किया जाएगा।

ख. स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में, उपवाक्य (xxxvi) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्यों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

" (xxxvii) 'प्रिंट मीडिया' से अभिप्राय है, -

(i) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उप-धारा (1) में परिभाषित 'पुस्तक', किन्तु इसके अंतर्गत कारबार निदेशिकाएँ, पीत पृष्ठ और व्यापार कैटलॉग, जो मुख्यतः वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए आशयित हैं, शामिल नहीं हैं;

(ii) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उप-धारा (1) में यथापरिभाषित 'समाचार पत्र';

(xxxviii) ' नैदानिक प्रतिस्थापन ' से कोई अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सेनेटोरियम या कोई अन्य संस्था, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जो निदान या उपचार या रुग्णता, चोट , विरूपण, अप्रसामान्यता या गर्भावस्था के लिए अपेक्षित सेवाओं या सुविधाओं का भारत में मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति में प्रस्ताव करता है या स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किसी स्थान पर या बीमारियों के निदान या जाँच के लिए सेवा प्रदान करने वाले किसी स्थापन के एक भाग के रूप में सेवा प्रदान करता है; ";

(xxxix) "स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं" से निदान या उपचार या रुग्णता की देखरेख, चोट, विरूपता, अप्रसामान्यता या गर्भावस्था के निदान या उपचार के लिए भारत में मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी नैदानिक स्थापना को और उससे रोगियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं सम्मिलित हैं किन्तु इसके अंतर्गत केश प्रत्यारोपण या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक शल्यक्रिया सिवाय तब जब अनुवंशिक त्रुटियों, विकासात्मक अप्रसामान्यताओं, चोट या संघात के कारण प्रभावित शरीर के अंगों या शरीर के कृत्यों को बहाल करने या पुनर्निर्माण के लिए की जाती है, सम्मिलित नहीं है;

(xxxx) "माल परिवहन अभिकरण" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारिषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;

ग. अनुबंध IV के पश्चात, निम्नलिखित अनुबंध को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

अनुबंध V: किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अपने द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए किसी माल परिवहन एजेंसी के द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु फार्म, जिसे अधिकार क्षेत्र वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

"अनुबंध V

फार्म

किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अपने द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए किसी माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) के द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु फार्म, जिसे अधिकार क्षेत्र वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

संदर्भ संख्या .-

दिनांक: -

1. मैंने/हमने_____ (व्यक्ति का नाम), मैसर्स का अधिकृत प्रतिनिधि, जीएस टी पंजीकरण करा लिया है/पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया है और मैं/हम, एतद्वारा, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 (1) के अनुसार फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीएटी सेवा पर जीएसटी के भुगतान करने का और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के सभी प्रावधानों का, जैसा कि वे किसी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति से संबंधित कर के भुगतान के लिए दायी किसी व्यक्ति पर लागू होते हों, का अनुपालन करने का वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं;
2. मैं इस बात को समझता हूँ कि एक बार इस विकल्प का प्रयोग कर लिए जाने पर इस विकल्प के प्रयोग की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इसको बदलने की अनुमति नहीं होगी और यह जिस वित्तीय वर्ष के लिए प्रयोग किया जाएगा उसके अंत तक वैध रहेगा।

विधिक नाम: -

जीएसटीआईएन: -

पैन नं.

प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम:

जीटीए का पूरा पता:

(अधिकार क्षेत्र वाले जीटीए प्राधिकारी का दिनांक सहित स्वीकृति पत्र)

नोट: किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 15 मार्च है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के विकल्प का प्रयोग 15 अगस्त, 2022 तक किया जा सकता है।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/176/2022- टी आर यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 22/2021-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 31 दिसम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 923(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 03/2022- Central Tax (Rate)

G.S.R. 541(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 11/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in the Table, -

(I) against serial number 3, in column (3), -

(a) items (iii), (iv), (v), (va), (vi) and (ix) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5) shall be omitted;

(b) against items (vii) and (x), for the entry in column (4), the entry “6” shall be substituted;

(c) in item (xii), for the brackets and figures “(iii), (iv), (v), (va), (vi), (vii), (viii), (ix)”, the brackets and figures “(vii), (viii),” shall be substituted;

(II) against serial number 7, in column (3), in item (i), the words “above one thousand rupees but” shall be omitted;

(III) against serial number 8, in column (3), -

(a) after item (vi) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(via) Transport of passengers, with or without accompanied belongings, by ropeways.	2.5	The credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]”;

(b) for item (vii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vii) Passenger transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (iva), (v), (vi) and (via) above.	9	-”;

(IV) against serial number 9, in column (3), -

(a) for item (iii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) Services of Goods Transport Agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used house hold goods for personal use) supplied by a GTA where,-		
(a) GTA does not exercise the option to itself pay GST on the services supplied by it;	2.5	The credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
(b) GTA exercises the option to itself pay GST on services supplied by it.	2.5	(1) In respect of supplies on which GTA pays tax at the rate of 2.5%, GTA shall not take credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)] (2) The option by GTA to itself pay GST on the services supplied by it during a Financial Year shall be exercised by making a declaration in Annexure V on or before the 15th March of the preceding Financial Year: Provided that the option for the Financial Year 2022-2023 shall be exercised on or before the 16th August, 2022: Provided further that invoice for supply of the service charging Central tax at the rates as applicable to clause (b) may be
	or	
	6	

		issued during the period from the 18th July, 2022 to 16th August, 2022 before exercising the option for the financial year 2022-2023 but in such a case the supplier shall exercise the option to pay GST on its supplies on or before the 16th August, 2022.”;
--	--	---

(b) after item (vi) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(via) Transport of goods by ropeways.	2.5	The credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]”;

(c) for item (vii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vii) Goods transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) and (via) above.	9	-”;

(V) against serial number 10, in column (3), -

(a) after item (i) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Renting of goods carriage where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	6	-”;

(b) in item (iii), after the brackets and figure “(i)”, the brackets and figures “, (ia)” shall be inserted;

(VI) against serial number 11, in column (3), for items (i) and (ii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“Supporting services in transport. <i>Explanation:</i> This entry does not include goods transport service involving Goods Transport Agency (GTA) service, which falls under Heading 9965.	9	-”;

(VII) against serial number 15, in column (3), -

(a) item (i) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5) shall be omitted;

(b) in item (vii), the brackets and figures “(i),” shall be omitted;

(VIII) against serial number 26, in column (3), in item (i), sub-items (e), (ea) and (h) shall be omitted;

(IX) after serial number 31 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“31A	Heading 9993	Services provided by a clinical establishment by way of providing room [other than Intensive Care Unit (ICU)/Critical Care Unit (CCU)/Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)/Neo natal Intensive Care Unit (NICU)] having room charges exceeding Rs. 5000 per day to a person receiving health care services.	2.5	The credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]”;

(X) against serial number 32, in column (3), -

(a) after item (i) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Services by way of treatment or disposal of biomedical waste or the processes incidental thereto by a common bio-medical waste treatment facility to a clinical establishment.	6	-”;

(b) in item (ii), after the brackets and figures “(i)”, the word, brackets and figure “and (ia)” shall be inserted;

(B) in paragraph 4, relating to Explanation, after clause (xxxvi), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(xxxvii) ‘print media’ means, —

(i) ‘book’ as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867), but does not include business directories, yellow pages and trade catalogues which are primarily meant for commercial purposes;

(ii) ‘newspaper’ as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867);

(xxxviii) ‘clinical establishment’ means, -

a hospital, nursing home, clinic, sanatorium or any other institution by, whatever name called, that offers services or facilities requiring diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India, or a place established as an independent entity or a part of an establishment to carry out diagnostic or investigative services of diseases;

(xxxix) ‘health care services’ means, -

any service by way of diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India and includes

services by way of transportation of the patient to and from a clinical establishment, but does not include hair transplant or cosmetic or plastic surgery, except when undertaken to restore or to reconstruct anatomy or functions of body affected due to congenital defects, developmental abnormalities, injury or trauma;

(xxxx) ‘goods transport agency’ means, -

any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.”;

(C) After Annexure IV, following annexure shall be inserted, namely: -

“Annexure V

FORM

Form for exercising the option by a Goods Transport Agency (GTA) for payment of GST on the GTA services supplied by him under forward charge before the commencement of any financial year to be submitted before the jurisdictional GST Authority.

Reference No.-

Date: -

1. I/We_____ (name of Person), authorised representative of M/s..... have taken registration/have applied for registration and do hereby undertake to pay GST on the GTA services in relation to transportation of goods supplied by us during the financial year.....under forward charge in accordance with section 9(1) of the CGST Act, 2017 and to comply with all the provisions of the CGST Act, 2017 as they apply to a person liable for paying the tax in relation to supply of any goods or services or both;
2. I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of one year from the date of exercising the option and will remain valid till the end of the financial year for which it is exercised.

Legal Name: -

GSTIN: -

PAN No.

Signature of Authorised representative:

Name of Authorised Signatory:

Full Address of GTA:

(Dated acknowledgment of jurisdictional GST Authority)

Note: The last date for exercising the above option for any financial year is the 15th March of the preceding financial year. The option for the financial year 2022-2023 can be exercised by 16th August, 2022.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

[F. No. 190354/176/2022-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: - The principal notification no. 11/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification no. 22/2021-Central Tax (Rate), dated the 31st December, 2021 published in the official gazette vide number G.S.R. 923(E), dated the 31st December, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 03/2022 -एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 542(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1), (3) और उप-धारा (4), धारा 6 की उप-धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (iii), (iv) और (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

क. सारणी में,-

(I) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (iii), (iv), (v), (va), (vi) और (ix) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ख) मद (vii) और (x) के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “12” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) मद (xii) में, कोष्ठक और अंक “(iii), (iv), (v), (va), (vi), (vii), (viii), (ix)” के स्थान पर, कोष्ठक और अंक “(vii), (viii),” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(II) क्रम संख्या 7 के समक्ष, मद (i) में, “एक हजार रुपए से अधिक लेकिन” शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (vi) और उससे संबंधित कॉलम (4), (5), की प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(via) रोपवे के द्वारा यात्रियों का परिवहन, चाहे वे अपने सामान के साथ हों या नहीं।	5	बशर्ते कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]”;

(ख) मद (vii) और उससे संबंधित कॉलम (4) और (5) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(vii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (ivक), (v), (vi) और (via) से भिन्न यात्री परिवहन सेवाएं।	18	-”;

(IV) क्रमांक 9 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (iii) और उससे संबंधित कॉलम (4), और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) जीटीए द्वारा आपूर्ति किए गए माल (जिसमें व्यक्तिगत प्रयोग में आने वाले इस्तेमाल किए गए घरेलू सामान भी शामिल हैं) के परिवहन से संबंधित माल परिवहन एजेंसी की सेवाएं, जहां-		
(क) जीटीए अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी के भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है;	5	बशर्ते कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]
(ख) जीटीए अपने द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी के स्वयं भुगतान करने का विकल्प का प्रयोग करता हो।	5	1. ऐसी आपूर्तियों के संबंध में जिसमें की जीटीए 5% की दर से कर का भुगतान करता हो तो ऐसी आपूर्तियों पर जीटीए सेवा की आपूर्ति में प्रयोग माल और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट नहीं लेगा। [कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)] 2. किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का स्वयं भुगतान करने का जीटीए के द्वारा लिए जाने वाले विकल्प का प्रयोग, उक्त वित्तीय वर्ष के तत्काल पहले 15 मार्च तक अनुबंध अनुलग्नक V में घोषणा करके किया जाएगा : बशर्ते कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए इस विकल्प का प्रयोग 16 अगस्त, 2022 को या उसके पहले करना होगा। बशर्ते और भी कि उपवाक्य (ख) पर लागू दर पर केंद्रीय कर वाली सेवा की आपूर्ति के लिए इनवॉयस को वित्तीय वर्ष, 2022-2023 के लिए विकल्प देने के पहले-पहले 18 जुलाई, 2022 से 16 अगस्त, 2022 की अवधि के दौरान जारी किया जा सकता है लेकिन ऐसे मामले में आपूर्तिकर्ता अपनी आपूर्ति पर जीएसटी के भुगतान के विकल्प का प्रयोग 16 अगस्त, 2022 को या उससे पहले ही करेगा।";
	या	
	12	

(ख) मद (vi) और कॉलम (4) और (5) में और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(via) रोपवे द्वारा माल का परिवहन।	5	बशर्ते कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]";

(ग) मद (vii) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(vii) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) और (via) से भिन्न माल परिवहन सेवाएं।	18	-";

(V) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ia) माल परिवहन का किराया पर देने की सेवाएं जहां सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रतिफल में ईंधन की लागत शामिल है।	12	-";

(ख) मद (iii) में, कोष्ठक और अंक "(i)" के पश्चात, कोष्ठक और अंक ",(ia)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(VI) क्रम संख्या 11 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) और (ii) के लिए और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"परिवहन में समर्थनकारी सेवाएं। <i>स्पष्टीकरण:</i> इस प्रविष्टि में वे माल परिवहन सेवा नहीं आती हैं जिनमें माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) सेवा, जो शीर्षक 9965 के अंतर्गत आती है, शामिल होती है।	18	-";

(VII) क्रमांक 15 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) और कॉलम (4) और (5) में तत्संबंधी प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ख) मद (vii) में, कोष्ठक और प्रतीक "(i)," को निरसित किया जाएगा;

(VIII) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, उप मद (ड.), (ड.क) और (ज) को निरसित किया जाएगा;

(IX) क्रम संख्या 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31A	शीर्षक 9993	किसी नैदानिक स्थापन द्वारा कमरे [इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू)/ क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)/ इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट (आईसीसीयू) /नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) से भिन्न] के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जिसका शुल्क रु. 5000/- प्रति दिवस से अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को जिसे स्वास्थ्य देख रेख सेवाएं दी जा रही हो।	5	ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]";

(X) क्रम संख्या 32 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(ia) किसी नैदानिक स्थापन को सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार प्रसुविधा के प्रचालको द्वारा , जैव-चिकित्सिय अपशिष्ट के उपचार या व्ययन के माध्यम से या उससे आनुषंगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी सेवाएं	12	-”;

(ख) मद (ii) में, कोष्ठक और अंक “(i)” के पश्चात, कोष्ठक और अंक “और (ia)” को अन्तःस्थापित किया जाएगा ।

ख. स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में, उपवाक्य (xxxvi) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्यों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“ (xxxvii) 'प्रिंट मीडिया' से अभिप्राय है, -

(i) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उप-धारा (1) में परिभाषित 'पुस्तक', किन्तु इसके अंतर्गत कारबार निदेशिकाएँ, पीत पृष्ठ और व्यापार कैटलॉग, जो मुख्यतः वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए आशयित हैं शामिल नहीं हैं;

(ii) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उप-धारा (1) में यथापरिभाषित 'समाचार पत्र';

(xxxviii) ' नैदानिक प्रतिस्थापन ' से कोई अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सेनेटोरियम या कोई अन्य संस्था, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जो निदान या उपचार या रुग्णता, चोट , विरूपण, अप्रसामान्यता या गर्भावस्था के लिए अपेक्षित सेवाओं या सुविधाओं का भारत में मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति में प्रस्ताव करता है या स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किसी स्थान पर या बीमारियों के निदान या जाँच के लिए सेवा प्रदान करने वाले किसी स्थापन के एक भाग के रूप में सेवा प्रदान करता है;”;

(xxxix) “स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं” से निदान या उपचार या रुग्णता की देखरेख, चोट, विरूपता, अप्रसामान्यता या गर्भावस्था के निदान या उपचार के लिए भारत में मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी नैदानिक स्थापना को और उससे रोगियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं सम्मिलित हैं किन्तु इसके अंतर्गत केश प्रत्यारोपण या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक शल्यक्रिया सिवाय तब जब अनुवंशिक त्रुटियों, विकासात्मक अप्रसामान्यताओं, चोट या संघात के कारण प्रभावित शरीर के अंगों या शरीर के कृत्यों को बहाल करने या पुनर्निर्माण के लिए की जाती है, सम्मिलित नहीं है;

(xxxx)“ माल परिवहन अभिकरण” से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;

ग. अनुबंध IV के पश्चात, निम्नलिखित अनुबंध को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

अनुबंध V: किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अपने द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए किसी माल परिवहन एजेंसी के द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु फार्म, जिसे अधिकार क्षेत्र वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा ।

“अनुबंध V

फार्म

किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अपने द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए किसी माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) के द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु फार्म, जिसे अधिकार क्षेत्र वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है ।

संदर्भ संख्या .-

दिनांक: -

1. मैंने/हमने_____ (व्यक्ति का नाम), मैसर्स का अधिकृत प्रतिनिधि, जीएस टी पंजीकरण करा लिया है/पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया है और मैं/हम, एतद्वारा, आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5(1) के अनुसार फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीएटी सेवा पर जीएसटी के भुगतान करने का और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के सभी प्रावधानों का, जैसा कि वे किसी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति से संबंधित कर के भुगतान के लिए दायी किसी व्यक्ति पर लागू होते हों, का अनुपालन करने का वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं;
2. मैं इस बात को समझता हूँ कि एक बार इस विकल्प का प्रयोग कर लिए जाने पर इस विकल्प के प्रयोग की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इसको बदलने की अनुमति नहीं होगी और यह जिस वित्तीय वर्ष के लिए प्रयोग किया जाएगा उसके अंत तक वैध रहेगा।

विधिक नाम: -

जीएसटीआईएन: -

पैन नं.

प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम:

जीटीए का पूरा पता:

(अधिकार क्षेत्र वाले जीटीए प्राधिकारी का दिनांक सहित स्वीकृति पत्र)

नोट: किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 15 मार्च है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के विकल्प का प्रयोग 15 अगस्त, 2022 तक किया जा सकता है।”

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/176/2022- टी आर यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 22/2021-एकीकृत कर (दर), दिनांक 31 दिसम्बर, 2021, सा.का.नि. 924 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 03/2022- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 542(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 5, subsection (1) of section 6 and clauses (iii), (iv) and (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in the Table, -

(I) against serial number 3, in column (3), -

(a) items (iii), (iv), (v), (va), (vi) and (ix) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5) shall be omitted;

(b) against items (vii) and (x), for the entry in column (4), the entry “12” shall be substituted;

(c) in item (xii), for the brackets and figures “(iii), (iv), (v), (va), (vi), (vii), (viii), (ix)”, the brackets and figures “(vii), (viii),” shall be substituted;

(II) against serial number 7, in column (3), in item (i), the words “above one thousand rupees but” shall be omitted;

(III) against serial number 8, in column (3), -

(a) after item (vi) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(via) Transport of passengers, with or without accompanied belongings, by ropeways.	5	The credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]”;

(b) for item (vii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vii) Passenger transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (iva), (v), (vi) and (via) above.	18	-”;

(IV) against serial number 9, in column (3), -

(a) for item (iii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) Services of Goods Transport Agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used house hold goods for personal use) supplied by a GTA where,-		
(a) GTA does not exercise the option to itself pay GST on the services supplied by it;	5	The credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
(b) GTA exercises the option to itself pay GST on services	5	(1) In respect of supplies on which GTA pays tax at the rate of 5%, GTA shall not

supplied by it.	or	take credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)] (2) The option by GTA to itself pay GST on the services supplied by it during a Financial Year shall be exercised by making a declaration in Annexure V on or before the 15th March of the preceding Financial Year: Provided that the option for the Financial Year 2022-2023 shall be exercised on or before the 16th August, 2022: Provided further that invoice for supply of the service charging Integrated tax at the rates as applicable to clause (b) may be issued during the period from the 18th July, 2022 to 16th August, 2022 before exercising the option for the financial year 2022-2023 but in such a case the supplier shall exercise the option to pay GST on its supplies on or before the 16th August, 2022.”;
	12	

(b) after item (vi) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(via) Transport of goods by ropeways.	5	The credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]”;

(c) for item (vii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vii) Goods transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) and (via) above.	18	-”;

(V) against serial number 10, in column (3), -

(a) after item (i) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Renting of goods carriage where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	12	-”;

(b) in item (iii), after the brackets and figure “(i)”, the brackets and figures “, (ia)” shall be inserted;

(VI) against serial number 11, in column (3), for items (i) and (ii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely :-

(3)	(4)	(5)
“Supporting services in transport. <i>Explanation:</i> This entry does not include goods transport service involving Goods Transport Agency (GTA) service, which falls under Heading 9965.	18	-”;

(VII) against serial number 15, in column (3), -

(a) item (i) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5) shall be omitted;

(b) in item (vii), the brackets and figures “(i),” shall be omitted;

(VIII) against serial number 26, in column (3), in item (i), sub-items (e), (ea) and (h) shall be omitted;

(IX) after serial number 31 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“31A	Heading 9993	Services provided by a clinical establishment by way of providing room [other than Intensive Care Unit (ICU)/Critical Care Unit (CCU)/Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)/Neo natal Intensive Care Unit (NICU)] having room charges exceeding Rs. 5000 per day to a person receiving health care services.	5	The credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]”;

(X) against serial number 32, in column (3), -

(a) after item (i) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Services by way of treatment or disposal of biomedical waste or the processes incidental thereto by a common bio-medical waste treatment facility to a clinical establishment.	12	-”;

(b) in item (ii), after the brackets and figures “(i)”, the word, brackets and figure “and (ia)” shall be inserted;

(B) in paragraph 5, relating to Explanation, after clause (xxxvi), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(xxxvii) ‘print media’ means, —

(i) ‘book’ as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867), but does not include business directories, yellow pages and trade catalogues which are primarily meant for commercial purposes;

(ii) 'newspaper' as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867);

(xxxviii) 'clinical establishment' means, -

a hospital, nursing home, clinic, sanatorium or any other institution by, whatever name called, that offers services or facilities requiring diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India, or a place established as an independent entity or a part of an establishment to carry out diagnostic or investigative services of diseases;

(xxxix) 'health care services' means, -

any service by way of diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India and includes services by way of transportation of the patient to and from a clinical establishment, but does not include hair transplant or cosmetic or plastic surgery, except when undertaken to restore or to reconstruct anatomy or functions of body affected due to congenital defects, developmental abnormalities, injury or trauma;

(xxxx) 'goods transport agency' means, -

any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.”;

(C) After Annexure IV, following annexure shall be inserted, namely: -

“Annexure V

FORM

Form for exercising the option by a Goods Transport Agency (GTA) for payment of GST on the GTA services supplied by him under forward charge before the commencement of any financial year to be submitted before the jurisdictional GST Authority.

Reference No.-

Date: -

1. I/We_____ (name of Person), authorised representative of M/s..... have taken registration/have applied for registration and do hereby undertake to pay GST on the GTA services in relation to transportation of goods supplied by us during, the financial year.....under forward charge in accordance with section 5(1) of the IGST Act, 2017 and to comply with all the provisions of the IGST Act, 2017 as they apply to a person liable for paying the tax in relation to supply of any goods or services or both;
2. I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of one year from the date of exercising the option and will remain valid till the end of the financial year for which it is exercised.

Legal Name: -

GSTIN: -

PAN No.

Signature of Authorised representative:

Name of Authorised Signatory:

Full Address of GTA:

(Dated acknowledgment of jurisdictional GST Authority)

Note: The last date for exercising the above option for any financial year is the 15th March of the preceding financial year. The option for the financial year 2022-2023 can be exercised by 16th August, 2022.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

[F. No. 190354/176/2022-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: - The principal notification no. 8/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification no. 22/2021-Integrated Tax (Rate), dated the 31st December, 2021 published in the official gazette vide number G.S.R. 924(E), dated the 31st December, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 03/2022-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 543(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 8 की उप धारा (1) और धारा 21 के उपवाक्य (iv), (v) और (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

क. सारणी में,-

(I) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (iii), (iv), (v), (va), (vi) और (ix) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ख) मद (vii) और (x) के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “6” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) मद (xii) में, कोष्ठक और अंक “(iii), (iv), (v), (va), (vi), (vii), (viii), (ix)” के स्थान पर, कोष्ठक और अंक “(vii), (viii),” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(II) क्रम संख्या 7 के समक्ष, मद (i) में, “एक हजार रुपए से अधिक लेकिन” शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (vi) और उससे संबंधित कॉलम (4), (5), की प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(via) रोपवे के द्वारा यात्रियों का परिवहन, चाहे वे अपने सामान के साथ हों या नहीं।	2.5	बशर्ते कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]”;

(ख) मद (vii) और उससे संबंधित कॉलम (4) और (5) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(vii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (ivक), (v), (vi) और (via) से भिन्न यात्री परिवहन सेवाएं।	9	-”;

(IV) क्रमांक 9 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (iii) और उससे संबंधित कॉलम (4), और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(iii) जीटीए द्वारा आपूर्ति किए गए माल (जिसमें व्यक्तिगत प्रयोग में आने वाले इस्तेमाल किए गए घरेलू सामान भी शामिल हैं) के परिवहन से संबंधित माल परिवहन एजेंसी की सेवाएं, जहां-		
(क) जीटीए अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी के भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है;	2.5	बशर्ते कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]
(ख) जीटीए अपने द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी के स्वयं भुगतान करने का विकल्प का प्रयोग करता हो।	2.5	1. ऐसी आपूर्तियों के संबंध में जिसमें की जीटीए 2.5% की दर से कर का भुगतान करता हो तो ऐसी आपूर्तियों पर जीटीए सेवा की आपूर्ति में प्रयोग माल और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट नहीं लेगा। [कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)] 2. किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का स्वयं भुगतान करने का जीटीए के द्वारा लिए जाने वाले विकल्प का प्रयोग, उक्त वित्तीय वर्ष के तत्काल पहले 15 मार्च तक अनुबंध अनुलग्नक V में घोषणा करके किया जाएगा : बशर्ते कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए इस विकल्प का प्रयोग 16 अगस्त, 2022 को या उसके पहले करना होगा। बशर्ते और भी कि उपवाक्य (ख) पर लागू दर पर केंद्रीय कर वाली सेवा की आपूर्ति के लिए इनवायस को वित्तीय वर्ष, 2022-2023 के लिए विकल्प देने के पहले-पहले 18 जुलाई, 2022 से
	या	
	6	

		16 अगस्त, 2022 की अवधि के दौरान जारी किया जा सकता है लेकिन ऐसे मामले में आपूर्तिकर्ता अपनी आपूर्ति पर जीएसटी के भुगतान के विकल्प का प्रयोग 16 अगस्त, 2022 को या उससे पहले ही करेगा।";
--	--	---

(ख) मद (vi) और कॉलम (4) और (5) में और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(via) रोपवे द्वारा माल का परिवहन।	2.5	बशर्ते कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]";

(ग) मद (vii) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(vii) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) और (via) से भिन्न माल परिवहन सेवाएं।	9	-";

(V) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ia) माल परिवहन का किराया पर देने की सेवाएं जहां सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रतिफल में ईंधन की लागत शामिल है।	6	-";

(ख) मद (iii) में, कोष्ठक और अंक "(i)" के पश्चात, कोष्ठक और अंक ",(ia)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(VI) क्रम संख्या 11 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) और (ii) के लिए और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"परिवहन में समर्थनकारी सेवाएं। स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि में वे माल परिवहन सेवा नहीं आती हैं जिनमें माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) सेवा, जो शीर्षक 9965 के अंतर्गत आती है, शामिल होती है।	9	-";

(VII) क्रमांक 15 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) और कॉलम (4) और (5) में तत्संबंधी प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ख) मद (vii) में, कोष्ठक और प्रतीक "(i)," को निरसित किया जाएगा;

(VIII) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में,-मद (i) में, उप मद (ड.), (ड.क) और (ज) को निरसित किया जाएगा;

(IX) क्रम संख्या 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31A	शीर्षक 9993	किसी नैदानिक स्थापन द्वारा कमरे [इंटेसिव केयर यूनिट (आईसीयू)/ क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)/ इंटेसिव कार्डियक केयर यूनिट (आईसीसीयू) /नियोनेटल इंटेसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) से भिन्न] के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जिसका शुल्क रु. 5000/- प्रति दिवस से अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को जिसे स्वास्थ्य देख रेख सेवाएं दी जा रही हो।	2.5	ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]";

(X) क्रम संख्या 32 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ia) किसी नैदानिक स्थापन को सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार प्रसुविधा के प्रचालको द्वारा , जैव-चिकित्सिय अपशिष्ट के उपचार या व्ययन के माध्यम से या उससे आनुषंगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी सेवाएं।	6	-";

(ख) मद (ii) में, कोष्ठक और अंक "(i)"के पश्चात, कोष्ठक और अंक "और (ia)" को अंतःस्थापित किया जाएगा।

ख. स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में, उपवाक्य (xxxvi) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्यों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

" (xxxvii) 'प्रिंट मीडिया' से अभिप्राय है, -

(i) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उप-धारा (1) में परिभाषित 'पुस्तक', किन्तु इसके अंतर्गत कारबार निदेशिकाएँ, पीत पृष्ठ और व्यापार कैटलॉग, जो मुख्यतः वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए आशयित हैं, शामिल नहीं हैं;

(ii) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उप-धारा (1) में यथापरिभाषित 'समाचार पत्र';

(xxxviii) ' नैदानिक प्रतिस्थापन ' से कोई अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सेनेटोरियम या कोई अन्य संस्था, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जो निदान या उपचार या रुग्णता, चोट , विरूपण, अप्रसमान्यता या गर्भावस्था के लिए अपेक्षित सेवाओं या सुविधाओं का भारत में मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति में प्रस्ताव करता है या स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किसी स्थान पर या बीमारियों के निदान या जाँच के लिए सेवा प्रदान करने वाले किसी स्थापन के एक भाग के रूप में सेवा प्रदान करता है; “;

(xxxix) “स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं” से निदान या उपचार या रुग्णता की देखरेख, चोट, विरूपता, अप्रसामान्यता या गर्भावस्था के निदान या उपचार के लिए भारत में मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी नैदानिक स्थापना को और उससे रोगियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं सम्मिलित हैं किन्तु इसके अंतर्गत केश प्रत्यारोपण या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक शल्यक्रिया सिवाय तब जब अनुवंशिक त्रुटियों, विकासात्मक अप्रसामान्यताओं, चोट या संघात के कारण प्रभावित शरीर के अंगों या शरीर के कृत्यों को बहाल करने या पुनर्निर्माण के लिए की जाती है, सम्मिलित नहीं है;

(xxxx) “माल परिवहन अभिकरण” से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;

ग. अनुबंध IV के पश्चात, निम्नलिखित अनुबंध को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

अनुबंध V: किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अपने द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए किसी माल परिवहन एजेंसी के द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु फार्म, जिसे अधिकार क्षेत्र वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

“अनुबंध V

फार्म

किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अपने द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए किसी माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) के द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु फार्म, जिसे अधिकार क्षेत्र वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

संदर्भ संख्या .-

दिनांक: -

1. मैंने/हमने _____ (व्यक्ति का नाम), मैसर्स का अधिकृत प्रतिनिधि, जीएस टी पंजीकरण करा लिया है/पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया है और मैं/हम, एतद्वारा, संघ राज्य जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7 (1) के अनुसार फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए सेवा पर जीएसटी के भुगतान करने का और संघ राज्य जीएसटी अधिनियम, 2017 के सभी प्रावधानों का, जैसा कि वे किसी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति से संबंधित कर के भुगतान के लिए दायी किसी व्यक्ति पर लागू होते हों, का अनुपालन करने का वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं;
2. मैं इस बात को समझता हूँ कि एक बार इस विकल्प का प्रयोग कर लिए जाने पर इस विकल्प के प्रयोग की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इसको बदलने की अनुमति नहीं होगी और यह जिस वित्तीय वर्ष के लिए प्रयोग किया जाएगा उसके अंत तक वैध रहेगा।

विधिक नाम: -

जीएसटीआईएन: -

पैन नं..

प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम:

जीटीए का पूरा पता:

(अधिकार क्षेत्र वाले जीटीए प्राधिकारी का दिनांक सहित स्वीकृति पत्र)

नोट: किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 15 मार्च है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के विकल्प का प्रयोग 15 अगस्त, 2022 तक किया जा सकता है।“.

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/176/2022- टी आर यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 22/2021-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 31 दिसम्बर, 2021, सा.का.नि. 925 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 03/2022- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 543(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8, clause (iv), clause (v) and clause (xxvii) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 702(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in the Table, -

(I) against serial number 3, in column (3), -

(a) items (iii), (iv), (v), (va), (vi) and (ix) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5) shall be omitted;

(b) against items (vii) and (x), for the entry in column (4), the entry “6” shall be substituted;

(c) in item (xii), for the brackets and figures “(iii), (iv), (v), (va), (vi), (vii), (viii), (ix)”, the brackets and figures “(vii), (viii),” shall be substituted;

(II) against serial number 7, in column (3), in item (i), the words “above one thousand rupees but” shall be omitted;

(III) against serial number 8, in column (3), -

(a) after item (vi) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(via) Transport of passengers, with or without accompanied belongings, by ropeways.	2.5	The credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]”;

(b) for item (vii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vii) Passenger transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (iva), (v), (vi) and (via) above.	9	-”;

(IV) against serial number 9, in column (3), -

(a) for item (iii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) Services of Goods Transport Agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used house hold goods for personal use) supplied by a GTA where,-		
(a) GTA does not exercise the option to itself pay GST on the services supplied by it;	2.5	The credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
(b) GTA exercises the option to itself pay GST on services supplied by it.	2.5	(1) In respect of supplies on which GTA pays tax at the rate of 2.5%, GTA shall not take credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)] (2) The option by GTA to itself pay GST on the services supplied by it during a Financial Year shall be exercised by making a declaration in Annexure V on or before the 15th March of the preceding Financial Year: Provided that the option for the Financial Year 2022-2023 shall be exercised on or before the 16th August, 2022: Provided further that invoice for supply of the service charging Union Territory tax at the rates as applicable to clause (b) may be issued during the period from the 18th July,2022 to 16th August, 2022 before exercising the option for the financial year 2022-2023 but in such a case the supplier shall exercise the option to pay GST on its supplies on or before the 16th August,2022.”;
	or	
	6	

(b) after item (vi) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(via) Transport of goods by ropeways.	2.5	The credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]”;

(c) for item (vii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vii) Goods transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) and (via) above.	9	-”;

(V) against serial number 10, in column (3), -

(a) after item (i) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Renting of goods carriage where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	6	-”;

(b) in item (iii), after the brackets and figure “(i)”, the brackets and figures “, (ia)” shall be inserted;

(VI) against serial number 11, in column (3), for items (i) and (ii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely :-

(3)	(4)	(5)
“Supporting services in transport. <i>Explanation:</i> This entry does not include goods transport service involving Goods Transport Agency (GTA) service, which falls under Heading 9965.	9	-”;

(VII) against serial number 15, in column (3), -

(a) item (i) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5) shall be omitted;

(b) in item (vii), the brackets and figures “(i),” shall be omitted;

(VIII) against serial number 26, in column (3), in item (i), sub-items (e), (ea) and (h) shall be omitted;

(IX) after serial number 31 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“31A	Heading 9993	Services provided by a clinical establishment by way of providing room [other than Intensive Care Unit	2.5	The credit of input tax charged on goods and

		(ICU)/Critical Care Unit (CCU)/Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)/Neo natal Intensive Care Unit (NICU)] having room charges exceeding Rs. 5000 per day to a person receiving health care services.		services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]”;
--	--	--	--	---

(X) against serial number 32, in column (3), -

(a) after item (i) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Services by way of treatment or disposal of biomedical waste or the processes incidental thereto by a common bio-medical waste treatment facility to a clinical establishment.	6	-”;

(b) in item (ii), after the brackets and figures “(i)”, the word, brackets and figure “and (ia)” shall be inserted;

(B) in paragraph 4, relating to Explanation, after clause (xxxvi), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(xxxvii) ‘print media’ means, —

(i) ‘book’ as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867), but does not include business directories, yellow pages and trade catalogues which are primarily meant for commercial purposes;

(ii) ‘newspaper’ as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867);

(xxxviii) ‘clinical establishment’ means, -

a hospital, nursing home, clinic, sanatorium or any other institution by, whatever name called, that offers services or facilities requiring diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India, or a place established as an independent entity or a part of an establishment to carry out diagnostic or investigative services of diseases;

(xxxix) ‘health care services’ means, -

any service by way of diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India and includes services by way of transportation of the patient to and from a clinical establishment, but does not include hair transplant or cosmetic or plastic surgery, except when undertaken to restore or to reconstruct anatomy or functions of body affected due to congenital defects, developmental abnormalities, injury or trauma;

(xxxx) ‘goods transport agency’ means, -

any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.”;

(C) After Annexure IV, following annexure shall be inserted, namely: -

“Annexure V

FORM

Form for exercising the option by a Goods Transport Agency (GTA) for payment of GST on the GTA services supplied by him under forward charge before the commencement of any financial year to be submitted before the jurisdictional GST Authority.

Reference No.-

Date: -

1. I/We _____ (name of Person), authorised representative of M/s..... have taken registration/have applied for registration and do hereby undertake to pay GST on the GTA services in relation to transportation of goods supplied by us during the financial year.....under forward charge in accordance with section 7(1) of the UTGST Act, 2017 and to comply with all the provisions of the UTGST Act, 2017 as they apply to a person liable for paying the tax in relation to supply of any goods or services or both;
2. I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of one year from the date of exercising the option and will remain valid till the end of the financial year for which it is exercised.

Legal Name: -

GSTIN: -

PAN No.

Signature of Authorised representative:

Name of Authorised Signatory:

Full Address of GTA:

(Dated acknowledgment of jurisdictional GST Authority)

Note: The last date for exercising the above option for any financial year is the 15th March of the preceding financial year. The option for the financial year 2022-2023 can be exercised by 16th August, 2022.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

[F. No. 190354/176/2022-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: - The principal notification no. 11/2017 – Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 702 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification no. 22/2021-Union Territory Tax (Rate), dated the 31st December, 2021 published in the official gazette vide number G.S.R. 925(E), dated the 31st December, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 04/2022- केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 544(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि 691 (अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क). सारणी में, कॉलम (3) में-

- (i) क्रम संख्या 6 के समक्ष, उपवाक्य (i) में, “स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को” शब्दों को निरसित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (क) में, क्रम संख्या (i) में, “स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को” शब्दों को निरसित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, परन्तुतक में, क्रम संख्या (i) में, “स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को” शब्दों को निरसित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 9 के समक्ष, परन्तुतक में, क्रम संख्या (i) में, “केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को स्पीड पोस्ट, त्वरित पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम द्वारा” शब्दों को निरसित किया जाएगा;
- (ख). क्रम संख्या 12 के समक्ष, कॉलम (3) में, “निवास के रूप में” शब्दों के पश्चात “, उस स्थिति को छोड़कर जहां ऐसे आवासीय भवन को किसी पंजीकृत व्यक्ति को किराए पर दिया जाता हो, ” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (ग). क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(घ). क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (क) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(क) इकोनॉमी क्लास में वायुमार्ग से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, या त्रिपुरा राज्य या पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित बागडोगरा में अवस्थित विमानपत्तन से प्रस्थान या समापन;”;

(ङ). क्रम संख्या 20 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (घ) को निरसित किया जाएगा;

(च). क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (ख) और (ग) को निरसित किया जाएगा;

(छ). क्रम संख्या 24ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)				
“अनाज, दालों, फल और सब्जियों के भंडारण या वेयरहाउसिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं.”;				

(ज). क्रम संख्या 24ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा -:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“24ग	अध्याय 9968	पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, बुक पोस्ट और साधारण डाक (जिनमें लिफाफे का वजन 10 ग्राम से कम हो), के माध्यम से डाक विभाग के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं; ;	कुछ नहीं	कुछ नहीं”;

(झ). क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ञ). क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ट). क्रम संख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ठ). क्रम संख्या 47क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ड). क्रम संख्या 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ढ). क्रम संख्या 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा -:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“52क	शीर्षक 9985	दूर प्रचालक सेवा, जो कि आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से भारत के बाहर दी जाती है और दूर ऑपरेटर के द्वारा विदेशी पर्यटक को सुलभ कराई जाती है, भारत के बाहर सुलभ कराई जाने वाली दूर ऑपरेटर सेवा के मूल्य की सीमा तक: बशर्ते कि भारत के बाहर दी गई दूर ऑपरेटर सेवा का मूल्य पूरे दौरे के लिए प्रभारित कुल मूल्य का ऐसा अनुपात होगा जो उस अनुपात के बराबर होगा जो भारत के बाहर दौरे के दिनों की संख्या और दूर के लिए कुल दिनों की संख्या के बीच है, या पूरे दूर के लिए कुल शुल्क का 50%, जो भी कम हो: बशर्ते और भी कि उपरोक्त गणना करते समय, 12 घंटे के बराबर या उससे अधिक समय की किसी भी अवधि को एक पूरा दिन माना जाएगा और 12 घंटे से कम की किसी भी अवधि को आधा दिन माना जाएगा। स्पष्टीकरण - "विदेशी पर्यटक" से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो कि सामान्य रूप से भारत का नागरिक नहीं है और वैध और गैर-आप्रवासी उद्देश्य के लिए छह महीने से अनधिक अवधि के लिए भारत में रुकने के लिए आता है। दृष्टांत: कोई दूर ऑपरेटर किसी विदेशी पर्यटक को पर्यटन ऑपरेटर सेवा निम्नानुसार प्रदान करता है:- (क) भारत में 3 दिन, नेपाल में 2 दिन; पूरे दौरे के लिए लिया गया शुल्क: रु.1, 00, 000/-,	Nil	Nil”;

		छूट: रु. 40,000/- (= रु.1,00,000/- x 2/5) या, रु.50,000/- (= रु.1,00,000/- का 50%) जो भी कम हो, अर्थात् रु. 40,000/- (अर्थात् कर योग्य मूल्य: रु. 60,000/-); (ख) भारत में 2 दिन, नेपाल में 3 रातें; पूरे दौरे के लिए लिया गया शुल्क: रु.1, 00, 000/-. छूट: रु.60, 000 (= रु.1, 00, 000/- x 3/5) या, रु. 50, 000/- (= रु. 1, 00, 000/- का 50%) जो भी कम हो , यानी, रु. 50, 000/- (अर्थात्, कर योग्य मूल्य: रु. 50, 000/-); (ग) भारत में 2.5 दिन, नेपाल में 3 दिन; पूरे दौरे के लिए लिया गया शुल्क: रु.1, 00, 000/-. छूट: रु. 54,545 (= रु.1, 00,000/- x 3/5.5) या, रु. 50, 000/- (= रु. 1, 00,000/- का 50%), जो भी कम हो, अर्थात् , रु. 50, 000/- (अर्थात्, कर योग्य मूल्य: रु. 50, 000/-).		
--	--	---	--	--

(ण). क्रम संख्या 53क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(त). क्रम संख्या 54 के समक्ष, कॉलम (3) में, उप वाक्य (ज) को निरसित किया जाएगा;

(थ). क्रम संख्या 56 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(द). क्रम संख्या 73 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ध). क्रम संख्या 74 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (क) में निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)
“बशर्ते कि उस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात किसी नैदानिक स्थापन द्वारा कमरे [इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू)/ क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)/ इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट (आईसीसीयू) /नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) से भिन्न] के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी जिसका शुल्क रु 5000/- प्रति दिवस से अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को जिसे स्वास्थ्य देख रेख सेवाएं दी जा रही हो।”;

(न). क्रम संख्या 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(प). क्रम संख्या 80 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(3)
“प्रशिक्षण या कोचिंग के द्वारा सेवाएं- (क) कला या संस्कृति से सम्बंधित आमोद-प्रमोद के क्रिया कलाप में, किसी व्यक्ति द्वारा या (ख) आयकर अधिनियम की धारा 12कक या 12कख अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पूर्त अस्तित्व द्वारा खेल, ”;

(फ). क्रम संख्या 82क के समक्ष, कॉलम (3) में, अक्षर, अंक और शब्दों "FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020" के पश्चात, कोष्ठक और शब्द, "[जब भी पुनर्नियोजित]" को अंतःस्थापित जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/176/2022-टी आर यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017 -केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 691 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2021- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 18 नवम्बर, 2021, सा.का.नि 810 (अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2021 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 04/2022 -Central Tax (Rate)

G.S.R. 544(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, -

(A) in the Table, -

(a) in column (3), -

(i) against serial number 6, in clause (a), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory” shall be omitted;

(ii) against serial number 7, in the *Explanation*, in clause (a), in sub-clause (i), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory” shall be omitted;

(iii) against serial number 8, in the proviso, in clause (i), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory” shall be omitted;

(iv) against serial number 9, in the first proviso, in clause (i), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a

person other than the Central Government, State Government, Union territory” shall be omitted;

(b) against serial number 12, in column (3), after the words “as residence”, the words “except where the residential dwelling is rented to a registered person” shall be inserted;

(c) serial number 14 and the entries relating thereto shall be omitted;

(d) against serial number 15, in column (3), for clause (a), the following shall be substituted: -

(3)
“(a) air in economy class, embarking from or terminating in an airport located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, or Tripura or at Bagdogra located in West Bengal.”;

(e) against serial number 20, in column (3), clause (d) shall be omitted;

(f) against serial number 21, in column (3), clauses (b) and (c) shall be omitted;

(g) against serial number 24B, for the entries in column (3), the following shall be substituted: -

(3)
“Services by way of storage or warehousing of cereals, pulses, fruits and vegetables.”;

(h) after serial number 24B and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“24C	Chapter 9968	Services by the Department of Posts by way of post card, inland letter, book post and ordinary post (envelopes weighing less than 10 grams).	Nil	Nil”;

(i) serial number 26 and the entries relating thereto shall be omitted;

(j) serial number 32 and the entries relating thereto shall be omitted;

(k) serial number 33 and the entries relating thereto shall be omitted;

(l) serial number 47A and the entries relating thereto shall be omitted;

(m) serial number 51 and the entries relating thereto shall be omitted;

(n) after serial number 52 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“52A	Heading 9985	Tour operator service, which is performed partly in India and partly outside India, supplied by a tour operator to a foreign tourist, to the extent of the value of the tour operator service which is performed outside India: Provided that value of the tour	Nil	Nil”;

		operator service performed outside India shall be such proportion of the total consideration charged for the entire tour which is equal to the proportion which the number of days for which the tour is performed outside India has to the total number of days comprising the tour, or 50% of the total consideration charged for the entire tour, whichever is less: Provided further that in making the above calculations, any duration of time equal to or exceeding 12 hours shall be considered as one full day and any duration of time less than 12 hours shall be taken as half a day. <i>Explanation.</i> - “foreign tourist” means a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes. <i>Illustrations:</i> <i>A tour operator provides a tour operator service to a foreign tourist as follows: -</i> <i>(a) 3 days in India, 2 days in Nepal; Consideration Charged for the entire tour: Rs.1, 00, 000/-</i> <i>Exemption: Rs.40, 000/- (=Rs.1, 00, 000/- x 2/5) or, Rs.50, 000/- (= 50% of Rs.1, 00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs.40, 000/-(i.e., Taxable value: Rs.60, 000/-);</i> <i>(b) 2 days in India, 3 nights in Nepal; Consideration Charged for the entire tour: Rs.1, 00, 000/-</i> <i>Exemption: Rs.60, 000/-(=Rs.1, 00, 000/- x 3/5) or, Rs.50, 000/- (= 50% of Rs.1, 00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs.50, 000/-(i.e., Taxable value: Rs.50, 000/-);</i> <i>(c) 2.5 days in India, 3 days in Nepal; Consideration charged for the entire tour: Rs.1, 00, 000/-</i> <i>Exemption: Rs.54,545 (=Rs.1, 00,</i>		
--	--	--	--	--

		000/- x 3/5.5) or, Rs.50, 000/- (= 50% of Rs.1, 00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs.50, 000/-(i.e., Taxable value: Rs.50, 000/-).		
--	--	--	--	--

- (o) serial number 53A and the entries relating thereto shall be omitted;
- (p) against serial number 54, in column (3), clause (h) shall be omitted;
- (q) serial number 56 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (r) serial number 73 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (s) against serial number 74, in column (3), in clause (a), the following proviso shall be inserted, namely: -

(3)
“Provided that nothing in this entry shall apply to the services provided by a clinical establishment by way of providing room [other than Intensive Care Unit (ICU)/Critical Care Unit (CCU)/Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)/Neo natal Intensive Care Unit (NICU)] having room charges exceeding Rs. 5000 per day to a person receiving health care services.”;

- (t) serial number 75 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (u) against serial number 80, for the entries in column (3), the following shall be substituted: -

(3)
“Services by way of training or coaching in- (a) recreational activities relating to arts or culture, by an individual, or (b) sports by charitable entities registered under Section 12AA or 12AB of the Income Tax Act.”;

- (v) against serial number 82A, in column (3), after the letters, figures and words, “FIFA U-17 Women’s World Cup 2020”, the brackets and words “[whenever rescheduled]” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

[F. No. 190354/176/2022-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification no. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, vide number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification no. 16/2021 - Central Tax (Rate), dated the 18th November, 2021 published in the official gazette vide number G.S.R. 810(E), dated the 18th November, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 04/2022-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 545(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की

सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क). सारणी में, कॉलम (3) में-

(i) क्रम संख्या 6 के समक्ष, , उपवाक्य (i) में, “ स्पीड पोस्ट , एक्सप्रेस पार्सल डाक , जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को” शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (क) में, क्रम संख्या (i) में, “स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को” शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, परन्तुक में, क्रम संख्या (i) में, “स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को” शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 9 के समक्ष, परन्तुक में, क्रम संख्या (i) में, “केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को स्पीड पोस्ट, त्वरित पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम द्वारा” शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(ख). क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (3) में, “निवास के रूप में” शब्दों के पश्चात “, उस स्थिति को छोड़कर जहां ऐसे आवासीय भवन को किसी पंजीकृत व्यक्ति को किराए पर दिया जाता हो,” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग). क्रम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(घ). क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (क) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

" (क) इकोनॉमी क्लास में वायुमार्ग से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, या त्रिपुरा राज्य में अवस्थित या पश्चिम बंगाल राज्य के बागडोगरा में अवस्थित विमानपत्तन से प्रस्थान या समापन;"

(ङ). क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (घ) को निरसित किया जाएगा;

(च). क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (ख) और (ग) को निरसित किया जाएगा;

(छ). क्रम संख्या 25ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)				
“अनाज, दालों, फल और सब्जियों के भंडारण या वेयरहाउसिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं.”;				

(ज). क्रम संख्या 24ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“25ग	अध्याय 9968	पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, बुक पोस्ट और साधारण डाक (जिनमें लिफाफे का वजन 10 ग्राम से कम हो), के माध्यम से डाक विभाग के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं; “;	कुछ नहीं	कुछ नहीं”;

- (झ). क्रम संख्या 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ञ). क्रम संख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ट). क्रम संख्या 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ठ). क्रम संख्या 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ड). क्रम संख्या 49क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ढ). क्रम संख्या 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ण). क्रम संख्या 54 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"54क	शीर्षक 9985	टूर प्रचालक सेवा, जो कि आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से भारत के बाहर दी जाती है और टूर ऑपरेटर के द्वारा विदेशी पर्यटक को सुलभ कराई जाती है, भारत के बाहर सुलभ कराई जाने वाली टूर ऑपरेटर सेवा के मूल्य की सीमा तक: बशर्ते कि भारत के बाहर दी गई टूर ऑपरेटर सेवा का मूल्य पूरे दौरे के लिए प्रभारित कुल मूल्य का ऐसा अनुपात होगा जो उस अनुपात के बराबर होगा जो भारत के बाहर दौरे के दिनों की संख्या और टूर के लिए कुल दिनों की संख्या के बीच है, या पूरे टूर के लिए कुल शुल्क का 50%, जो भी कम हो: बशर्ते और भी कि उपरोक्त गणना करते समय, 12 घंटे के बराबर या उससे अधिक समय की किसी भी अवधि को एक पूरा दिन माना जाएगा और 12 घंटे से कम की किसी भी अवधि को आधा दिन माना जाएगा। स्पष्टीकरण - "विदेशी पर्यटक" से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो कि सामान्य रूप से भारत का नागरिक नहीं है और वैध और गैर-आप्रवासी उद्देश्य के लिए छह महीने से अनधिक अवधि के लिए भारत में रुकने के लिए आता है।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

		दृष्टांतः कोई टूर ऑपरेटर किसी विदेशी पर्यटक को पर्यटन ऑपरेटर सेवा निम्नानुसार प्रदान करता है:- (क) भारत में 3 दिन, नेपाल में 2 दिन; पूरे दौरे के लिए लिया गया शुल्क: रु.1, 00, 000/-, छूट: रु. 40,000/- (= रु.1,00,000/- x 2/5) या, रु.50,000/- (= रु.1,00,000/- का 50%) जो भी कम हो, अर्थात् रु. 40,000/- (अर्थात् कर योग्य मूल्य: रु. 60,000/-); (ख) भारत में 2 दिन, नेपाल में 3 रातें; पूरे दौरे के लिए लिया गया शुल्क: रु.1, 00, 000/-. छूट: रु.60, 000 (= रु.1, 00, 000/- x 3/5) या, रु. 50, 000/- (= रु. 1, 00, 000/- का 50%) जो भी कम हो, यानी, रु. 50, 000/- (अर्थात्, कर योग्य मूल्य: रु. 50, 000/-); (ग) भारत में 2.5 दिन, नेपाल में 3 दिन; पूरे दौरे के लिए लिया गया शुल्क: रु.1, 00, 000/-. छूट: रु. 54,545 (= रु.1, 00,000/- x 3/5.5) या, रु. 50, 000/- (= रु. 1, 00,000/- का 50%), जो भी कम हो, अर्थात् , रु. 50, 000/- (अर्थात्, कर योग्य मूल्य: रु. 50, 000/-).		
--	--	--	--	--

(त). क्रम संख्या 56क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(थ). क्रम संख्या 57 के समक्ष, कॉलम (3) में, उप वाक्य (ज) को निरसित किया जाएगा;

(द). क्रम संख्या 59 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ध). क्रम संख्या 76 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(न). क्रम संख्या 77 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (क) में निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)

“बशर्ते कि उस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात किसी नैदानिक स्थापन द्वारा कमरे [इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू)/ क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)/ इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट (आईसीसीयू) /नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) से भिन्न] के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी जिसका शुल्क रु 5000/- प्रति दिवस से अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को जिसे स्वास्थ्य देख रेख सेवाएं दी जा रही हो।”;

(प). क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(फ). क्रम संख्या 83 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(3)
“प्रशिक्षण या कोचिंग के द्वारा सेवाएं- (क) कला या संस्कृति से सम्बंधित आमोद-प्रमोद के क्रिया कलाप में, किसी व्यक्ति द्वारा या (ख) आयकर अधिनियम की धारा 12कक या 12कख अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पूर्त अस्तित्व द्वारा खेल, ”;

(ब). क्रम संख्या 85क के समक्ष, कॉलम (3) में, अक्षर, अंक और शब्दों "FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020" के पश्चात, कोष्ठक और शब्द, "[जब भी पुनर्नियोजित]" को अंतःस्थापित जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/176/2022-टी आर यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 9/2017 - एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2021- एकीकृत कर (दर), दिनांक 18 नवम्बर, 2021, सा.का.नि 811 (अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2021 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 04/2022 -Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 545(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 5, subsection (1) of section 6 and clause (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No.9/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in the Table, -

(a) in column (3), -

(i) against serial number 6, in clause (a), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory” shall be omitted;

(ii) against serial number 7, in the *Explanation*, in clause (a), in sub-clause (i), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory” shall be omitted;

(iii) against serial number 8, in the proviso, in clause (i), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a

person other than the Central Government, State Government, Union territory” shall be omitted;

(iv) against serial number 9, in the first proviso, in clause (i), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory” shall be omitted;

(b) against serial number 13, in column (3), after the words “as residence” the words “except where the residential dwelling is rented to a registered person” shall be inserted;

(c) serial number 15 and the entries relating thereto shall be omitted;

(d) against serial number 16, in column (3), in clause (a), the following shall be substituted:

-

(3)
“(a) air in economy class, embarking from or terminating in an airport located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, or Tripura or at Bagdogra located in West Bengal;”;

(e) against serial number 21, in column (3), clause (d) shall be omitted;

(f) against serial number 22, in column (3), clauses (b) and (c) shall be omitted;

(g) against serial number 25B, for the entries in column (3), the following shall be substituted: -

(3)
“Services by way of storage or warehousing of cereals, pulses, fruits and vegetables.”;

(h) after serial number 25B and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“25C	Chapter 9968	Services by the Department of Posts by way of post card, inland letter, book post and ordinary post (envelopes weighing less than 10 grams);	Nil	Nil”;

(i) serial number 27 and the entries relating thereto shall be omitted;

(j) serial number 33 and the entries relating thereto shall be omitted;

(k) serial number 34 and the entries relating thereto shall be omitted;

(l) serial number 42 and the entries relating thereto shall be omitted;

(m) serial number 49A and the entries relating thereto shall be omitted;

(n) serial number 53 and the entries relating thereto shall be omitted;

(o) after serial number 54 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“54A	Heading 9985	Tour operator service, which is performed partly in India and partly outside India, supplied by a tour operator to a foreign tourist, to the extent of the value of the tour operator service which is performed outside India:	Nil	Nil”;

		Provided that value of the tour operator service performed outside India shall be such proportion of the total consideration charged for the entire tour which is equal to the proportion which the number of days for which the tour is performed outside India has to the total number of days comprising the tour, or 50% of the total consideration charged for the entire tour, whichever is less: Provided further that in making the above calculations, any duration of time equal to or exceeding 12 hours shall be considered as one full day and any duration of time less than 12 hours shall be taken as half a day. <i>Explanation.</i> - “foreign tourist” means a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes. <i>Illustrations:</i> <i>A tour operator provides a tour operator service to a foreign tourist as follows:-</i> <i>(a) 3 days in India, 2 days in Nepal; Consideration Charged for the entire tour: Rs.1, 00, 000/-</i> <i>Exemption: Rs.40, 000/- (=Rs.1, 00, 000/- x 2/5) or, Rs.50, 000/- (= 50% of Rs.1, 00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs.40, 000/-(i.e., Taxable value: Rs.60, 000/-);</i> <i>(b) 2 days in India, 3 nights in Nepal; Consideration Charged for the entire tour: Rs.1, 00, 000/-</i> <i>Exemption: Rs.60, 000(=Rs.1, 00, 000/- x 3/5) or, Rs.50, 000/- (= 50% of Rs.1, 00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs.50, 000/-(i.e., Taxable value: Rs.50, 000/-);</i> <i>(c) 2.5 days in India, 3 days in Nepal; Consideration charged for the entire tour: Rs.1, 00, 000/-</i> <i>Exemption: Rs.54,545 (=Rs.1, 00, 000/- x 3/5.5) or, Rs.50, 000/- (= 50% of Rs.1, 00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs.50, 000/-(i.e., Taxable value: Rs.50, 000/-).</i>		
--	--	--	--	--

(p) serial number 56A and the entries relating thereto shall be omitted;

(q) against serial number 57, in column (3), clause (h) shall be omitted;

- (r) serial number 59 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (s) serial number 76 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (t) against serial number 77, in column (3), in clause (a), the following proviso shall be inserted, namely: -

(3)
“Provided that nothing in this entry shall apply to the services provided by a clinical establishment by way of providing room [other than Intensive Care Unit (ICU)/Critical Care Unit (CCU)/Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)/Neo natal Intensive Care Unit (NICU)] having room charges exceeding Rs. 5000 per day to a person receiving health care services.”;

- (u) serial number 78 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (v) against serial number 83, for the entries in column (3), the following shall be substituted: -

(3)
“Services by way of training or coaching in-
(c) recreational activities relating to arts or culture, by an individual, or
(d) sports by charitable entities registered under Section 12AA or 12AB of the Income Tax Act.”;

- (w) against serial number 85A, in column (3), after the letters, figures and words “FIFA U-17 Women’s World Cup 2020”, the brackets and words “[whenever rescheduled]” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

[F. No. 190354/176/2022-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification no. 9/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification no. 16/2021 - Integrated Tax (Rate), dated the 18th November, 2021 published in the official gazette vide number G.S.R. 811(E), dated the 18th November, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 04/2022-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 546(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित, संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (3) और (4), धारा 8 की उप धारा (1), धारा 21 के उपवाक्य (iv) और (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क). सारणी में, कॉलम (3) में-

(i) क्रम संख्या 6 के समक्ष, उपवाक्य (i) में, “ स्पीड पोस्ट , एक्सप्रेस पार्सल डाक , जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को” शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (क) में, क्रम संख्या (i) में, “स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को” शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, परन्तुतक में, क्रम संख्या (i) में, “स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को” शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 9 के समक्ष, पहले परन्तुतक में, क्रम संख्या (i) में, “केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को स्पीड पोस्ट, त्वरित पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम द्वारा” शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(ख). क्रम संख्या 12 के समक्ष, कॉलम (3) में, “निवास के रूप में” शब्दों के पश्चात “, उस स्थिति को छोड़कर जहां ऐसे आवासीय भवन को किसी पंजीकृत व्यक्ति को किराए पर दिया जाता हो, ” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग). क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(घ). क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (क) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“ (क) इकोनॉमी क्लास में वायुमार्ग से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, या त्रिपुरा राज्य में अवस्थित या पश्चिम बंगाल राज्य के बागडोगरा में अवस्थित विमानपत्तन से प्रस्थान या समापन;”;

(ङ). क्रम संख्या 20 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (घ) को निरसित किया जाएगा;

(च). क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (ख) और (ग) को निरसित किया जाएगा;

(छ). क्रम संख्या 24ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)				
“अनाज, दालों, फल और सब्जियों के भंडारण या वेयरहाउसिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं.”;				

(ज). क्रम संख्या 24ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा -:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“24ग	अध्याय 9968	पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, बुक पोस्ट और साधारण डाक (जिनमें लिफाफे का वजन 10 ग्राम से कम हो), के माध्यम से डाक विभाग के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं; ‘;	कुछ नहीं	कुछ नहीं”;

(झ). क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ञ). क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ट). क्रम संख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ठ). क्रम संख्या 47क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ड). क्रम संख्या 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ढ). क्रम संख्या 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“52क	शीर्षक 9985	दूर प्रचालक सेवा, जो कि आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से भारत के बाहर दी जाती है और	Nil	Nil”;

		टूर ऑपरेटर के द्वारा विदेशी पर्यटक को सुलभ कराई जाती है, भारत के बाहर सुलभ कराई जाने वाली टूर ऑपरेटर सेवा के मूल्य की सीमा तक: बशर्ते कि भारत के बाहर दी गई टूर ऑपरेटर सेवा का मूल्य पूरे दौरे के लिए प्रभारित कुल मूल्य का ऐसा अनुपात होगा जो उस अनुपात के बराबर होगा जो भारत के बाहर दौरे के दिनों की संख्या और टूर के लिए कुल दिनों की संख्या के बीच है, या पूरे टूर के लिए कुल शुल्क का 50%, जो भी कम हो: बशर्ते और भी कि उपरोक्त गणना करते समय, 12 घंटे के बराबर या उससे अधिक समय की किसी भी अवधि को एक पूरा दिन माना जाएगा और 12 घंटे से कम की किसी भी अवधि को आधा दिन माना जाएगा। स्पष्टीकरण - "विदेशी पर्यटक" से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो कि सामान्य रूप से भारत का नागरिक नहीं है और वैध और गैर-आप्रवासी उद्देश्य के लिए छह महीने से अनधिक अवधि के लिए भारत में रुकने के लिए आता है। दृष्टांत: कोई टूर ऑपरेटर किसी विदेशी पर्यटक को पर्यटन ऑपरेटर सेवा निम्नानुसार प्रदान करता है:- (क) भारत में 3 दिन, नेपाल में 2 दिन; पूरे दौरे के लिए लिया गया शुल्क: रु.1, 00, 000/-, छूट: रु. 40,000/- (= रु.1,00,000/- x 2/5) या, रु.50,000/- (= रु.1,00,000/- का 50%) जो भी कम हो, अर्थात् रु. 40,000/- (अर्थात् कर योग्य मूल्य: रु. 60,000/-); (ख) भारत में 2 दिन, नेपाल में 3 रातें; पूरे दौरे के लिए लिया गया शुल्क: रु.1, 00, 000/-. छूट: रु.60, 000 (= रु.1, 00, 000/- x 3/5) या, रु. 50, 000/- (= रु. 1, 00, 000/- का 50%) जो	
--	--	--	--

		भी कम हो , यानी, रु. 50, 000/- (अर्थात, कर योग्य मूल्य: रु. 50, 000/-); (ग) भारत में 2.5 दिन, नेपाल में 3 दिन; पूरे दौरे के लिए लिया गया शुल्क: रु.1, 00, 000/-. छूट: रु. 54,545 (= रु.1, 00,000/- x 3/5.5) या, रु. 50, 000/- (= रु. 1, 00,000/- का 50%), जो भी कम हो, अर्थात। , रु. 50, 000/- (अर्थात, कर योग्य मूल्य: रु. 50, 000/-).		
--	--	--	--	--

(ण). क्रम संख्या 53क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(त). क्रम संख्या 54 के समक्ष, कॉलम (3) में, उप वाक्य (ज) को निरसित किया जाएगा;

(थ). क्रम संख्या 56 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(द). क्रम संख्या 73 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ध). क्रम संख्या 74 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (क) में निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)
“बशर्ते कि उस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात किसी नैदानिक स्थापन द्वारा कमरे [इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू)/ क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)/ इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट (आईसीसीयू) /नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) से भिन्न] के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी जिसका शुल्क रु 5000/- प्रति दिवस से अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को जिसे स्वास्थ्य देख रेख सेवाएं दी जा रही हो।”;

(न). क्रम संख्या 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(प). क्रम संख्या 80 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(3)
“प्रशिक्षण या कोचिंग के द्वारा सेवाएं- (क) कला या संस्कृति से सम्बंधित आमोद-प्रमोद के क्रिया कलाप में, किसी व्यक्ति द्वारा या (ख) आयकर अधिनियम की धारा 12कक या 12कख अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पूर्त अस्तित्व द्वारा खेल, ”;

(फ). क्रम संख्या 82क के समक्ष, कॉलम (3) में, अक्षर, अंक और शब्दों "FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020" के पश्चात, कोष्ठक और शब्द, "[जब भी पुनर्नियोजित]" को अंतःस्थापित जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/176/2022-टी आर यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2021-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 18 नवम्बर, 2021, सा.का.नि. 812(अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2021 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 04/2022 -Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 546(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8 and clause (iv) and clause (xxvii) of section 21 of the Union territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017, namely: -

In the said notification, -

(A) in the Table, -

(a) in column (3), -

(i) against serial number 6, in clause (a), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory” shall be omitted;

(ii) against serial number 7, in the *Explanation*, in clause (a), in sub-clause (i), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory” shall be omitted;

(iii) against serial number 8, in the proviso, in clause (i), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory” shall be omitted;

(iv) against serial number 9, in the first proviso, in clause (i), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory” shall be omitted;

(b) against serial number 12, in column (3), after the words “as residence”, the words “except where the residential dwelling is rented to a registered person” shall be inserted;

(c) serial number 14 and the entries relating thereto shall be omitted;

(d) against serial number 15, in column (3), for clause (a), the following shall be substituted: -

(3)
“(a) air in economy class, embarking from or terminating in an airport located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, or Tripura or at Bagdogra located in West Bengal;”;

(e) against serial number 20, in column (3), clause (d) shall be omitted;

(f) against serial number 21, in column (3), clauses (b) and (c) shall be omitted;

(g) against serial number 24B, for the entries in column (3), the following shall be substituted: -

(3)
“Services by way of storage or warehousing of cereals, pulses, fruits and vegetables.”;

(h) after serial number 24B and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24C	Chapter 9968	Services by the Department of Posts by way of post card, inland letter, book post and ordinary post (envelopes weighing less than 10 grams).	Nil	Nil";

(i) serial number 26 and the entries relating thereto shall be omitted;

(j) serial number 32 and the entries relating thereto shall be omitted;

(k) serial number 33 and the entries relating thereto shall be omitted;

(l) serial number 47A and the entries relating thereto shall be omitted;

(m) serial number 51 and the entries relating thereto shall be omitted;

(n) after serial number 52 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"52A	Heading 9985	Tour operator service, which is performed partly in India and partly outside India, supplied by a tour operator to a foreign tourist, to the extent of the value of the tour operator service which is performed outside India: Provided that value of the tour operator service performed outside India shall be such proportion of the total consideration charged for the entire tour which is equal to the proportion which the number of days for which the tour is performed outside India has to the total number of days comprising the tour, or 50% of the total consideration charged for the entire tour, whichever is less: Provided further that in making the above calculations, any duration of time equal to or exceeding 12 hours shall be considered as one full day and any duration of time less than 12 hours shall be taken as half a day. <i>Explanation.</i> - "foreign tourist" means a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes.	Nil	Nil";

		<i>Illustrations:</i> <i>A tour operator provides a tour operator service to a foreign tourist as follows:-</i> <i>(a) 3 days in India, 2 days in Nepal; Consideration Charged for the entire tour: Rs.1, 00, 000/-</i> <i>Exemption: Rs.40, 000/- (=Rs.1, 00, 000/- x 2/5) or, Rs.50, 000/- (= 50% of Rs.1, 00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs.40, 000/-(i.e., Taxable value: Rs.60, 000/-);</i> <i>(b) 2 days in India, 3 nights in Nepal; Consideration Charged for the entire tour: Rs.1, 00, 000/-</i> <i>Exemption: Rs.60, 000(=Rs.1, 00, 000/- x 3/5) or, Rs.50, 000/- (= 50% of Rs.1, 00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs.50, 000/-(i.e., Taxable value: Rs.50, 000/-);</i> <i>(c) 2.5 days in India, 3 days in Nepal; Consideration charged for the entire tour: Rs.1, 00, 000/-</i> <i>Exemption: Rs.54,545 (=Rs.1, 00, 000/- x 3/5.5) or, Rs.50, 000/- (= 50% of Rs.1, 00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs.50, 000/-(i.e., Taxable value: Rs.50, 000/-).</i>		
--	--	---	--	--

(o) serial number 53A and the entries relating thereto shall be omitted;

(p) against serial number 54, in column (3), clause (h) shall be omitted;

(q) serial number 56 and the entries relating thereto shall be omitted;

(r) serial number 73 and the entries relating thereto shall be omitted;

(s) against serial number 74, in column (3), in clause (a), the following proviso shall be inserted, namely: -

(3)
“Provided that nothing in this entry shall apply to the services provided by a clinical establishment by way of providing room [other than Intensive Care Unit (ICU)/Critical Care Unit (CCU)/Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)/Neo natal Intensive Care Unit (NICU)] having room charges exceeding Rs. 5000 per day to a person receiving health care services.”;

(t) serial number 75 and the entries relating thereto shall be omitted;

(u) against serial number 80, for the entries in column (3), the following shall be substituted: -

(3)
“Services by way of training or coaching in-

- (a) recreational activities relating to arts or culture, by an individual, or
(b) sports by charitable entities registered under Section 12AA or 12AB of the Income Tax Act.”;

(v) against serial number 82A, in column (3), after the letters, figures and words, “FIFA U-17 Women’s World Cup 2020”, the brackets and words “[whenever rescheduled]” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

[F. No. 190354/176/2022-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification no. 12/2017 – Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, vide number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification No. 16/2021 – Union Territory Tax (Rate), dated the 18th November, 2021 published in the official gazette vide number G.S.R. 812(E), dated the 18th November, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 05/2022-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 547(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 692 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

1) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2) में,-

(क) शब्द, अंक और प्रतीक " जिसने 6 प्रतिशत की दर से केंद्रीय कर का का भुगतान नहीं किया है " को निरसित किया जाएगा;

(ख) परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते और भी कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी, जहां,-

- आपूर्तिकर्ता ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकरण कराया हो और फॉरवर्ड चार्ज के तहत अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया है, और
- आपूर्तिकर्ता ने प्राप्तकर्ता को लागू दरों पर केंद्रीय कर लगा कर इनवॉयस जारी किया हो, और अपने द्वारा जारी ऐसे इनवॉयस के बारे में अनुबंध III में यथानिर्धारित घोषणा की हो।";

2) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (2) में, उपवाक्य (2), मद (i) को शब्द और प्रतीक "(i) डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं" से प्रति स्थापित किया जायेगा।"

3) क्रमांक 5क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"5कक	किसी पंजीकृत व्यक्ति को आवासीय भवनों को किराए पर देने के माध्यम से दी गई सेवा।	कोई भी व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति।";

- 4) अनुलग्नक II के बाद, निम्नलिखित अनुलग्नक को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"अनुलग्नक III

घोषणा

मैंने/हमने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और फॉरवर्ड चार्ज के तहत वित्तीय वर्ष _____ के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है।".

II. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/176/2022-टी आर यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 692 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 29/2019-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2019, सा.का.नि. 971 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2019 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 05/2022-Central Tax (Rate)

G.S.R. 547(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 692(E), dated the 28th June, 2017, namely: -

In the said notification, in the Table, -

(1) against serial number 1, in column (2), -

(a) the words, figures and symbols "who has not paid central tax at the rate of 6%," shall be omitted;

(b) after the proviso the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that nothing contained in this entry shall apply where, -

- i. the supplier has taken registration under the CGST Act, 2017 and exercised the option to pay tax on the services of GTA in relation to transport of goods supplied by him under forward charge; and
- ii. the supplier has issued a tax invoice to the recipient charging Central Tax at the applicable rates and has made a declaration as prescribed in Annexure III on such invoice issued by him.";

(2) against serial number 5, in column (2), in the sub-clause (2), in item (i), the words "by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than Central Government, State Government or Union territory or local authority" shall be omitted;

(3) after serial number 5A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“5AA	Service by way of renting of residential dwelling to a registered person.	Any person	Any registered person.”;

(4) after Annexure II, the following annexure shall be inserted, namely: -

“Annexure III

Declaration

I/we have taken registration under the CGST Act, 2017 and have exercised the option to pay tax on services of GTA in relation to transport of goods supplied by us during the Financial Year _____ under forward charge.”.

II. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

[F. No. 190354/176/2022-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: -The principal notification no. 13/2017 -Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 692 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification no. 29/2019 -Central Tax (Rate), dated the 31st December, 2019 published in the official gazette vide number G.S.R. 971(E), dated the 31st December, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 05/2022 -एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 548(अ).—केन्द्रीय एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

1) क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम (2) में,-

(क) शब्द, अंक और प्रतीक " जिसने 12 प्रतिशत की दर से एकीकृत कर का का भुगतान नहीं किया है " को निरसित किया जाएगा;

(ख) परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते और भी कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी, जहां,-

- आपूर्तिकर्ता ने आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 के उपवाक्य (v) के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकरण कराया हो और फॉरवर्ड चार्ज के तहत अपने द्वारा आपूर्त किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया हो, और
- आपूर्तिकर्ता ने प्राप्तकर्ता को लागू दर से एकीकृत कर लगा कर इनवॉयस जारी किया हो, और अपने द्वारा जारी ऐसे इनवॉयस के बारे में अनुबंध III में यथानिर्धारित घोषणा की हो।”;

- 2) क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम (2) में, उपवाक्य (2), मद (i) में “स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को” शब्दों को निरसित किया जाएगा;”
- 3) क्रमांक 6क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“6कक	किसी पंजीकृत व्यक्ति को आवासीय भवनों को किराए पर देने के माध्यम से दी गई सेवा।	कोई भी व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति।”;

- 4) अनुलग्नक II के बाद, निम्नलिखित अनुलग्नक को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"अनुलग्नक III

घोषणा

मैंने/हमने आईसीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 के उपवाक्य (v) के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और फॉरवर्ड चार्ज के तहत वित्तीय वर्ष _____ के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है।”

II. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

[फा.सं. 190354/176/2022-टी आर यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 10/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 28/2019-एकीकृत कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2019, सा.का.नि. 973 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2019 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 05/2022-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 548(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.10/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 685(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(1) against serial number 2, in column (2), -

(a) the words, figures and symbols “who has not paid integrated tax at the rate of 12%,” shall be omitted;

(b) after the proviso the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided further that nothing contained in this entry shall apply where, -

- the supplier has taken registration under the CGST Act, 2017 read with clause (v) of Section 20 of the IGST Act, 2017 and exercised the option to pay tax on the services of GTA in relation to transport of goods supplied by him under forward charge, and

- ii. the supplier has issued a tax invoice to the recipient charging Integrated Tax at the applicable rates and has made a declaration as prescribed in Annexure III on such invoice issued by him.”
- (2) against serial number 6, in column (2), in sub-clause (2), in item (i), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than Central Government, State Government or Union territory or local authority” shall be omitted;
- (3) after serial number 6A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“6AA	Service by way of renting of residential dwelling to a registered person.	Any person	Any registered person.”;

- (4) After Annexure II, the following annexure shall be inserted, namely: -

“Annexure III

Declaration

I/we have taken registration under the CGST Act, 2017 read with clause (v) of section 20 of IGST Act, 2017 and have exercised the option to pay tax on services of GTA in relation to transport of goods supplied by us during the Financial Year _____ under forward charge.”.

- II. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

[F. No. 190354/176/2022-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: -The principal notification no. 10/2017 -Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 685 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification no. 28/2019 -Integrated Tax (Rate), dated the 31st December, 2019 published in the official gazette vide number G.S.R. 973(E), dated the 31st December, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 05/2022-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 549(अ).—केन्द्रीय संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 704 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

- 1) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2) में,—

(क) शब्द, अंक और प्रतीक " जिसने 6 प्रतिशत की दर से संघ राज्य कर का का भुगतान नहीं किया है " को निरसित किया जाएगा;

(ख) परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते और भी कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी, जहां,-

- i. आपूर्तिकर्ता ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकरण कराया हो और फॉरवर्ड चार्ज के तहत अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया हो, और
 - ii. आपूर्तिकर्ता ने प्राप्तकर्ता को लागू दरों पर संघ राज्य कर लगा कर इनवॉयस जारी किया हो, और अपने द्वारा जारी ऐसे इनवॉयस के बारे में अनुबंध III में यथानिर्धारित घोषणा की हो।";
- 2) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (2) में, उपवाक्य (2), मद (i) को शब्द और प्रतीक "(i) डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं" से प्रति स्थापित किया जायेगा।"
 - 3) क्रमांक 5क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"5कक	किसी पंजीकृत व्यक्ति को आवासीय भवनों को किराए पर देने के माध्यम से दी गई सेवा।	कोई भी व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति।";

- 4) अनुलग्नक II के बाद, निम्नलिखित अनुलग्नक को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"अनुलग्नक III

घोषणा

मैंने/हमने संघ राज्य जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 21 के उपवाक्य (vi) के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और फॉरवर्ड चार्ज के तहत वित्तीय वर्ष _____ के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है।"

II. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

[फा.सं. 190354/176/2022-टी आर यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 704 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 29/2019-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2019, सा.का.नि. 975 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2019 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 05/2022-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 549(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 704(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (1) against serial number 1, in column (2), -

- (a) the words, figures and symbols "who has not paid union territory tax at the rate of 6%," shall be omitted;
- (b) after the proviso the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided further that nothing contained in this entry shall apply where, -

- i. the supplier has taken registration under the CGST Act, 2017 read with clause (vi) of Section 21 of the UTGST Act, 2017 and exercised the option to pay tax on the services of GTA in relation to transport of goods supplied by him under forward charge; and
- ii. the supplier has issued a tax invoice to the recipient charging Union Territory Tax at the applicable rates and has made a declaration as prescribed in Annexure III on such invoice issued by him.”;

(2) against serial number 5, in column (2), in the sub-clause (2), in item (i), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than Central Government, State Government or Union territory or local authority” shall be omitted;

(3) after serial number 5A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“5AA	Service by way of renting of residential dwelling to a registered person.	Any person	Any registered person.”;

(4) after Annexure II, the following annexure shall be inserted, namely: -

“Annexure III

Declaration

I/we have taken registration under the CGST Act, 2017 read with clause (vi) of Section 21 of the UTGST Act, 2017 and have exercised the option to pay tax on services of GTA in relation to transport of goods supplied by us during the Financial Year _____ under forward charge.”.

II. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

[F. No. 190354/176/2022-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification no. 13/2017 -Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 704 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification no. 29/2019 -Union Territory Tax (Rate), dated the 31st December, 2019 published in the official gazette vide number G.S.R. 975(E), dated the 31st December, 2019.